भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1136

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

सोमवार, 7 श्रावण, 1946 (शक)

तमिलनाडु में कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा देना

1136. श्री मुरसोली एस.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले के लिए ऐसी योजनाओं के लिए योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित, संवितरित और उपयोग की गई; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार**,** कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन स्कीमों का कार्यान्वयन मांग-आधारित है और तदनुसार कौशल केंद्र खोले जाते हैं। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है, उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल युक्त करना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम का उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन एवं पुनर्कौशालीकरण करना है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 15-45 वर्ष की आयु-वर्ग के 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

(ख और ग) एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत जिलों को सीधे तौर पर कोई निधि जारी नहीं की जाती है। पीएमकेवीवाई के तहत तमिलनाडु राज्य को जून, 2024 तक जारी की गई निधि 464.72 करोड़ रुपए है। जेएसएस स्कीम के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को निधि जारी की जाती है। तमिलनाडु राज्य में जेएसएस के लिए वर्ष 2018-19 से 31 मार्च, 2024 तक जेएसएस के अंतर्गत जारी कुल निधि 20.93 करोड़ रुपए है। एनएपीएस के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। आईटीआई के संबंध में अनुदिन का प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

तमिलनाडु राज्य और तंजावुर जिले में एमएसडीई की उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या है:

स्कीम	**उम्मीदवारों की संख्या**	
	तमिलनाडु	**तंजावुर**
पीएमकेवीवाई (प्रारंभन से जून, 2024)	8,24,589	12,137
जेएसएस (वर्ष 2018-19 से जून, 2024)	78,909	0
सम्बद्ध एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से जून, 2024)	2,81,276	1,411
सीटीएस (वर्ष 2018 से वर्ष 2023)	2,08,411	10,410

*****